न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू राजस्थान

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 76/2017

कमलादेवी धर्मपत्नी किशनलाल जाति ब्राहमण पारीक उम्र 51 वर्ष निवासी नोखा हाल निवासी मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर जिला बीकानेर राजस्थान .... प्रार्थीनी

बनाम

1. मु0 गोदावरीदेवी धर्मपत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (पारीक) निवासी वार्ड नंबर 28 गट्टानी गर्ल्स स्कूल के आगे जोरावर पुरा नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर राजस्थान
2. भंवरलाल
3. चम्पालाल — पि0 स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (पारीक) नि0 वार्ड नं0 28 गट्टानी गर्ल्स स्कूल से आगे जोरावरपुरा नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. रामाकिशन
5. बजरंगलाल
6. मदनलाल
7. ओंकारमल
8. शिवरतन
9. कन्हैयालाल
10. सांवरमल
11. भंवरलाल — पि0 स्व0 सुरजाराम जाति ब्राहमण पारीक निवासीगण ग्राम ईयारां तहसील सुजानगढ वर्तमान बीदासर जिला चूरू राजस्थान
12. सत्यनारायण पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति ब्राहमण पारीक निवासी पुलिस थाने के पीछे कर्मचारी कॉलोनी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर राजस्थान
13. किशनलाल
14. मांगीलाल — पि0 स्व0 भागीरथ जाति ब्राहमण पारीक नि0 वार्ड नंबर 28 गट्टाणी गर्ल्स स्कूल से आगे जोरावरपुरा नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर राजस्थान
15. उप पंजीयक बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री बजरंगसिह रूहेला एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई एडवोकेट उपस्थित नहीं

:– आदेश –: दिनांक 14.10.2019

वादपत्र के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीनी ने कथन किया है कि प्रार्थीनी के दादा ससुर स्व0 गणपतराम के अकेले के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत वर्तमान खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 बिश्वा व खसरा नंबर 462 तादादी 32 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही ग्राम ईयारां तहसील बीदासर में स्थित है तथा स्व0 रामचन्द्र व स्व0 गणपतराम व स्व0 रूघनाथ के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत वर्तमान खसरा नंबर 7 सात तादादी 38 बीघा 17 बिश्वा व खसरा नंबर 159 तादादी 5 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नंबर 161 तादादी 33 बीघा 11 बिश्वा व खसरा नंबर 200 तादादी 5 बीघा 10 बिश्वा व खसरा नंबर 203 तादादी 11 ग्यारह बीघा 17 सत्रह बिश्वा व खसरा नंबर 309 तादादी 41 बीघा 1 बिश्वा व खसरा नंबर 314 तादादी 2 बीघा व खसरा नंबर 378 तादादी 13 बीघा 13 बिश्वा व खसरा नंबर 325 तादादी 8 बीघा 6 बिश्वा व खसरा नंबर 665 तादादी 19 बीघा 16 बिश्वा व खसरा नंबर 800 तादादी 9 बीघा 14

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बिश्वा व खसरा नंबर 349 तादादी 8 बीघा 2 बिश्वा व खसरा नंबर 350 तादादी 6 बीघा 3 बिश्वा कुल तादादी 206 बीघा वाके रोही ईयारां तहसील सुजानगढ में स्थित है जिसमें स्व0 गणपतराम का 1/3 हिस्सा था। स्व0 गणपतराम के तीन पुत्र रामेश्वरलाल,सुरजाराम व भागीरथ हुए स्व0 रामचन्द्र के कोई पुत्र सन्तान नहीं होने के कारण उन्होंने अपने जीवनकाल में ही गणपतराम के पुत्र रामेश्वरलाल को गोद ले लिया था। गणपतराम के जीवनकाल में ही उनका पुत्र रामेश्वरलाल रामचन्द्र के गोद चला गया था तथा रामचन्द्र के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रामचन्द्र के स्वर्गवास के बाद रामेश्वरलाल के नाम बतौर दतक पुत्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी। रामेश्वरलाल के रामचन्द्र के गोद चले जाने के बाद गणपतराम की सम्पति में उसका कोई हक नहीं रह जाता है। जो भू–प्रबन्ध की खतौनी सम्वत् 2028 व जमाबंदी सम्वत 2031 से प्रमाणित है। गणपतराम का स्वर्गवास सन् 1977 में हुआ था। राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत व सांठ गांठ करके रामेश्वरलाल व सुरजाराम ने मिलकर खेत खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 की खातेदारी में रामेश्वरलाल का नाम दर्ज करवा लिया जो प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 के मुकाबले अवैध व शून्य है। गणपतराम व उनकी धर्मपत्नी गोगीदेवी के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत वर्तमान खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 तेरह बिश्वा व खसरा नंबर 462 तादादी 32 बीघा 13 बिश्वा कुल तादादी 54 बीघा 8 बिश्वा में भागीरथ का 1/2 व सुरजाराम का 1/2 हिस्सा कायम हो गया। स्व0 रामचन्द्र स्व0 गणपतराम व स्व0 रूघनाथ के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कुल तादादी 206 बीघा में सुरजाराम व भागीरथ का 1/3 हिस्सा कायम हो गया। यानि सुरजाराम का 1/6 हिस्सा व भागीरथ का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया। कुल तादादी 206 में से भागीरथ के हिस्सा पांति व कब्जा काश्त में 34 बीघा 13 बिश्वा भूमि आई तथा खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 कुल तादादी 54 बीघा 6 बिश्वा में से 1/2 हिस्सा में 27 बीघा 3 बिश्वा आई यानि भागीरथ के अकेले के खातेदारी,कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांति में कुल 61 बीघा 16 बिश्वा भूमि आई हुई थी। भागीरथ ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से पांति व कब्जा काश्त व खातेदारी की कुल 61 बीघा 16 बिश्वा भूमि का विभाजन कर दिया था खसरा नंबर 7 व खसरा नंबर 159 व खसरा नंबर 161 व खसरा नंबर 200 व खसरा नंबर 203 व खसरा नंबर 309 व खसरा नंबर 314 व खसरा नंबर 378 व खसरा नंबर 325 व खसरा नंबर 665 व खसरा नंबर 800 व खसरा नंबर 349 व खसरा नंबर 350 में से अपने हिस्सा पांति कब्जा काश्त व खातेदारी की 34 बीघा 13 बिश्वा भूमि अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 13 किशनलाल व अप्रार्थी संख्या 14 चवदह मांगीलाल को उनके हिस्सा पांति में दे दी तथा खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 तेरह बिश्वा अपने स्वयं के पास रखी तथा खसरा नंबर 462 में से 5 बीघा 10 बिश्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 को दे दी थी। इस प्रकार भागीरथ ने अपने जीवनकाल में ही अपने खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि का विभाजन अपने व अपने जायज वारिसान के बीच कर दिया था। अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 ने अपने हिस्से पांति में आई हुई 34 बीघा 13 बिश्वा भूमि श्रीमती राधादेवी धर्मपत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी ईयारां को विकय कर दी। यह भूमि विकय की तब भागीरथ जीवित थे इसलिए इन खेतों की खातेदारी भागीरथ के नाम होने से विकयपत्र उनके द्वारा पंजीकृत करवाया गया लेकिन इस विकयपत्र द्वारा बेची गई भूमि की कीमत अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 ने ही प्राप्त की थी तथा उन्होंने विकीत भूमि का कब्जा केता को सौंपा गया था। भागीरथ ने अपने अकेले के हिस्सा पांति व कब्जा काश्त खातेदारी की 21 बीघा 13 बिश्वा भूमि अपने जीवनकाल में ही जरिये रजि0 वसीयतनामां दिनांक 7.8.2006 के द्वारा प्रार्थीनी को दे दी जो उनकी अंतिम वसीयत थी। भागीरथ का स्वर्गवास दिनांक 21.8.2006 को बीकानेर में हो गया भागीरथ की सेवा चाकरी प्रार्थीनी ने ही की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने तन्हा मालिकाना अधिकार व कब्जे काश्त की 21 बीघा 13 बिश्वा भूमि जिसके खसरा नंबर 351 है कि रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा प्रार्थीनी को मालिक बना दिया। इस भूमि पर पहले अकेले स्व0 भागीरथ व उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीनी का अकेली का

लगातार 3 पर

कब्जा काश्त बिना किसी रूकावट के निरन्तर चला आ रहा है। गणपतराम व उनकी धर्मपत्नी गोगीदेवी के स्वर्गवास के बाद उनके खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 बिश्वा व खसरा नंबर 462 तादादी 13 बिश्वा कुल तादादी 54 बीघा 6 बिश्वा वाके रोही ईयारां तहसील सुजानगढ में स्व0 भागीरथ का 1/2 व स्व0 सुरजाराम का 1/2 हिस्सा कायम हो गया।

गणपतराम का पुत्र रामेश्वरलाल उनके जीवनकाल में ही उनके बडे भाई रामचन्द्र के गोद चला गया था। रामचन्द्र के गोद चले जाने के बाद रामेश्वरलाल का गणपतराम की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। गणपतराम के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नबर 351 व खसरा नंबर 462 की खातेदारी में विरासतन नामान्तरकरण के द्वारा रामेश्वरलाल का नाम दर्ज हुआ वो तथा रामेश्वरलाल के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1ता 3 के नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज हुआ वो शुरू से ही गलत एवं शून्य है। इस गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने जरिये रजिस्टर्ड हक तर्क लेखपत्र द्वारा दिनांक 13.08.2019 सुरजाराम अकेले के पक्ष में किया गया है यह हक तर्क लेख पत्र शुरू से ही अवैध व शून्य है क्योंकि हक तर्क कर्ताओं का वादगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था। इस गलत एवं अवैध हक तर्क के द्वारा सुरजाराम के अकेले के नाम वादगत भूमि में 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ है वो गलत एवं अवैध है क्योंकि हक तर्क लेखपत्र शुरू से ही शून्य एवं अवैध होने के कारण प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 के हक हिस्से तक निरस्त किये जाने योग्य है। इस गलत अंकन से प्रार्थीनी के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है इसलिए प्रार्थीनी वादगत खेत खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 की खातेदारी में अपने पक्ष में स्व0 भागीरथ द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 7.8.2006 के आधार पर 21 बीघा 13 बिश्वा भूमि की खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की कानूनी अधिकारी है। स्व0 भागीरथजी व स्व0 सुरजाराम अपने जीवनकाल में अलग अलग हो गये थे वादगत खेत खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 वाके रोही ईयारां का मौखिक विभाजन कर लिया था मुताबिक विभाजन के स्व0 भागीरथजी के हिस्से पांति एवं कब्जा काश्त में खसरा नंबर 351 सम्पूर्ण तथा खसरा नंबर 462 मिन 5 बीघा 10 बिश्वा भूमि आई जिसे भागीरथजी अकेले काश्त करते थे। खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 बिश्वा प्रार्थीनी को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा प्रार्थीनी को दे दिया जिस पर प्रार्थीनी का अकेली का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इस खेत को प्रार्थीनी ने अपने स्वयं के धन व श्रम से काफी उपजाउ बनाया है। खसरा नंबर 462 की 5 बीघा 10 बिश्वा भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 का कब्जा है। लेकिन वादगत खेतों का राजस्व रेकार्ड वर्तमान में गलत एवं संयुक्त चला आ रहा है। जिसके कारण प्रार्थीनी को कई प्रकार की समस्याओं का सामाना करना पडता है। इसलिए प्रार्थीनी अपने मालिकाना अधिकार के खेत खसरा नंबर 351 की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहती है। खसरा नंबर 351 की सम्पूर्ण भूमि पर भागीरथजी के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीनी अकेली का कब्जा काश्त निरन्तर बिना किसी रूकावट के चला आ रहा है। इस वर्ष बरसात होने पर प्रार्थीनी ने अपने अधिकार की भूमि सदा की भांति काश्त करवाया था। प्रार्थीनी अपनी काश्त को संभालने के लिए गई तो अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 11 ने कहा कि इस भूमि में तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नहीं तथा तुम्हें हम आगे इस भूमि को काश्त नहीं करने देंगे तब प्रार्थीनी ने वादगत खेतों के राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाई तब उसे इस गलत अंकन का सर्व प्रथम ज्ञान हुआ। इस गलत अंकन का ज्ञान होने पर प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 को आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी दुरूस्त करवाने व वसीयत के आधार पर प्रार्थीनी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने व हक तर्क लेखपत्र को निरस्त करवाने का निवेदन किया तो पहले तो वो टालमटोल करते रहे लेकिन अंतिम बार दिनांक 5.2.2012 को उन्होंने साफ इन्कार कर दिया एवं प्रार्थीनी को ऐलानियां धमकी दी कि इस बार वर्षात होने पर यह खेत तुम्हें काश्त नही करने देंगे तथा गलत खातेदारी के आधार पर इस खेत को किसी ताकतवर अजनवी व्यक्ति को विक्रय कर

लगातार 4 पर

देंगे तुम्हें जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे प्रार्थीनी अकेली औरतजात होने के कारण अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण यदि अपने इस गलत कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी हर्जाने से पूर्ण नहीं हो सकेगी इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे। प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है तथा सुविधा का सन्तुन व अपूर्तिय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीनी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो मुकदमेंबाजी बढेगी लिहाजा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 वाके रोही ईयारां कि 21 बीघा 13 बिश्वा भूमि जो प्रार्थीनी को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामां दिनांक 7.8.2006 को उसके ससुर भागीरथ ने दी जो वर्तमान खसरा नंबर 351 की भूमि है। जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें न प्रार्थीनी को बेदखल करें न प्रार्थीनी को फसल लाटने व लेने से रोके तथा न ही विकय,हस्तान्तरण,रहन आदि करें न करावे न ही विकयपत्र तस्दीक करें न करावे तथा न ही कोई ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थीनी के कानूनी हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे इत्यादि।

प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 वाके रोही ईयारां के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,5,6,8,10,11,12 की ओर से श्री मोहनलाल एडवोकेट उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से श्री जगवीर गोदारा एडवोकेट उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 3,4,7,9 व 14 की तामील हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 8.6.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,5,6,8,10,11 व 12 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 वाके रोही ईयारां स्व0 गणपतराम व खसरा नंबर 7,159,161,200,203,309,314,378,325,655,800,349,350 वाके रोही ईयारां में 1/3 हिस्सा स्व0 गणपतराम का 1/3 हिस्सा स्व0 रामचन्द्र का व 1/3 हिस्सा स्व0 रूघनाथ का होना स्वीकार है। स्व0 गणपतराम के तीन पुत्र रामेश्वरलाल, सुरजाराम, भागीरथ हुए होना स्वीकार है स्व0 रामचन्द्र ने कभी भी अपने जीवनकाल में रामेश्वरलाल को गोद नहीं लिया था ना ही गोदनामां निष्पादित करवाया था। रामेश्वरलाल,सुरजाराम भागीरथ संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में एक साथ शामिल रहते थे। स्व0 रामचन्द्र की भूमि को शामिल काश्त करते थे। स्व0 रामचन्द्र की भूमि को तीनों ने मिलकर विकय किया था। स्व0 गणपतराम के स्वर्गवास के पश्चात् गणपतराम की खातेदारी भूमि में रामेश्वरलाल के नाम खातेदारी सही दर्ज हुई थी। भागीरथ द्वारा अपने हिस्से की भूमि बेच देने के बाद वादगत भूमि में भागीरथ का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा। प्रार्थीनी के पक्ष में की गई वसीयत प्रारम्भ से ही शून्य है व कोई कानूनी अहमियत नहीं रखती। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा सुरजाराम के पक्ष में किया गया हक तर्क लेख पत्र सही है। इसलिए प्रार्थीनी किसी प्रकार की कोई कानूनी घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीनी का वादगत भूमि के संबंध में कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई विभाजन कराने की अधिकारी नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 4 ता 12 के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की भूमि है जिससे प्रथम दृष्टया केस,सुविधा का सन्तुलन अपूर्तिय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी भी सूरत में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पिछली 6–7 पेशियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है तथा न ही अप्रार्थीगण से कोई उपस्थित हो रहा है। इसलिए दिनांक 07.10.2019 को उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील प्रार्थीनी सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में विद्वान वकील प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों को दोहराया है। बहस पर मनन किया।

लगातार 5 पर

प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2031 में रामेश्वरलाल पि0मु0 रामचन्द्र 1/3 हिस्सा व सुरजाराम भागीरथ पिसरान गणपतराम 1/3 हिस्सा हरदेव वल्द रूघनाथ 1/3 हिस्सा खसरा नंबर 7, 159, 161, 200, 209, 309, 314, 378, 325,655,349,350 वाके रोही ईयारां तथा उपरोक्त खसरा नंबर का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी पर्चा सम्वत् 2028 में भी रामेश्वरलाल पि0मु0 रामचन्द्र 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा गणपतराम का जो हिस्सा है उसमें सुरजाराम व भागीरथ का ही नाम अंकित है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रामेश्वरलाल स्व0 रामचन्द्र के गोद नहीं गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि रामेश्वरलाल स्व0 रामचन्द्र का दतक पुत्र था। क्योंकि यदि रामेश्वरलाल स्व0 रामचन्द्र का दतक पुत्र नहीं होता तो उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमि में स्व0 गणपतराम के वारिसान सुरजाराम व भागीरथ के साथ रामेश्वरलाल का भी नाम अवश्य दर्ज होता। जो नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि रामेश्वरलाल स्व0 रामचन्द्र का दतक पुत्र होने के कारण स्व0 रामचन्द्र की खातेदारी की भूमि है उसमें उसका नाम दतक पुत्र की हैसियत से दर्ज है। इसलिए गणपतराम अकेले के नाम खातेदारी एवं कब्जा,काश्त के खेत खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 बिश्वा व खसरा नंबर 462 तादादी 32 बीघा 13 बिश्वा में रामेश्वरलाल का नाम स्व0 रामचन्द्र के दतक चले जाने के बाद दर्ज हुआ है वो गलत है। इसलिए गणपतराम के खातेदारी के खेतों में रामेश्वरलाल का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। उसके स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा किये गये हक तर्क लेखपत्र सुरजाराम के पक्ष में किया गया है वो गलत खातेदारी के आधार पर होने के कारण सुरजाराम व सुरजाराम के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 12 का वादगत खेत खसरा नंबर 351 व खसरा नंबर 462 में 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ है वो कानूनन सही नहीं है। वकील प्रार्थीनी ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014(1) पेज 509 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के खण्डपीठ का पेश किया जिसमें यह निर्णित किया गया है कि सह खातेदार अपना हिस्सा एक सह खातेदार के पक्ष में नहीं छोड सकता उसके द्वारा छोडा गया हिस्सा सभी सह खातेदारों के पक्ष में छोडा हुआ माना। इससे भी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा किये गये रजिस्टर्ड हक तर्क लेख पत्र द्वारा राजस्व्व रेकार्ड में सुरजाराम के अकेले के दर्ज हुआ वो तथा सुरजाराम के स्वर्गवास के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 12 के नाम दर्ज हुआ कानूनन सही नहीं है। भागीरथ ने प्रार्थीनी के पक्ष में दिनांक 7.8.2006 की वसीयत है वो रजिस्टर्ड है। उसको जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता तब तक वो सही मानी जायेगी। अप्रार्थीगण ने न्याय पत्रिका की फोटो कॉपी पेश की है उससे उनको कोई समर्थन नहीं मिलता। इसलिए प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से एवं न्यायिक दृष्टान्त से प्रार्थीनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सारवान मामला है तथा सुविधा का सन्तुन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के खिलाफ अप्रार्थीगण ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित है कि रामेश्वरलाल स्व0 रामचन्द्र के गोद नहीं गया है। जब प्रार्थीनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन पक्ष में है तो अपूर्तिय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीनी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.02.2019 को कन्फर्म किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा मूल वाद के निर्णय तक वर्जित किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नंबर 351 तादादी 21 बीघा 13 बिश्वा व खसरा नंबर 462 तादादी 32 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही ईयारां वर्तमान तहसील बीदासर के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में कोई बाधा न करे।

आदेश सरे ईजलास दिनांक 14.10.2019 के सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर